न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना

पीठासीन अधिकारीः—श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सिवाना

प्रकरण संख्याः— 174/2021

प्रार्थीगणः—

1. खीमसिह पुत्र जोगसिह जाति राजपुत निवासी कॉखी
2. मदेसिह पुत्र जोगसिह जाति राजपुत निवासी कॉखी
3. जुगता पुत्र निम्बा जाति मेघवाल निवासी कॉखी
4. बीजा पुत्र निम्बा जाति मेघवाल निवासी कॉखी
5. भोलकी पत्नि निम्बा जाति मेघवाल निवासी कॉखी

6- रावताराम पुत्र निम्बाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

7. अम्बाराम पुत्र गुमनाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी
8. उषाकुमारी पुत्री गीगाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी
9. कताकुमारी पुत्री गीगाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

10 खीमाराम पुत्र गुमनाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

11 ढलकीदेवी पत्नि गीगाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

12 तेजाराम पुत्र गुमनाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

13 पेलाराम पुत्र गुमनाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

14 पवनाराम पुत्र गुमनाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

15 मदाराम पुत्र गुमनाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

16 रमरूकुमारी पुत्री गीगाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

17 वचनाराम पुत्र गुमनाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

18 संगली कुमारी पुत्री गीगाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

19. अदराराम पुत्र जैरामा जाति मेघवाल निवासी कॉखी

20 नाबालिग गटकी कुमारी पुत्री मसराराम सरंक्षक माता गीतादेवी जाति मेघवाल निवासी कॉखी

21 गीतादेवी पत्नि मसराराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

22 छगनाराम पुत्र मसराराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

23 नाबालिग डायाराम पुत्र मसराराम सरंक्षक माता गीतादेवी जाति मेघवाल निवासी कॉखी

24 दरगाराम पुत्र पीराराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

25. नाबालिग हका कुमारी पुत्री मसराराम सरंक्षक माता गीतादेवी जाति मेघवाल निवासी कॉखी

26 ककाराम पुत्र आशाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

27 छगनाराम पुत्र आशाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

28 झमुदेवी पत्नि आशाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

29 नेनाराम पुत्र आशाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

30 बलाराम पुत्र आशाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

31 बाबूलाल पुत्र आशाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

32 मोटाराम पुत्र आशाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

33 रणसाराम पुत्र आशाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

34 गेबाराम पुत्र राणाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

35 मोरकी पत्नि गेबाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

36 जमना देवी पत्नि नरसाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

37 ढलाराम पुत्र नरसाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

38 भीखाराम पुत्र नरसाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी

39 नाबालिग कैलाश पुत्र मांगा सरंक्षक सरपरस्त झमूदेवी जाति भील निवासी पंऊ

40 नाबालिग खेताराम पुत्र मांगा सरंक्षक सरपरस्त झमूदेवी जाति भील निवासी पंऊ

41 झमूदेवी पत्नि मांगा जाति भील निवासी पंऊ

42 दीपाराम पुत्र मांगा जाति भील निवासी पंऊ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

430 नारणाराम पुत्र मांगा जाति भील निवासी पंऊ
44 पाखडी पत्नि मसराजी जाति भील निवासी पंऊ
45 भवाराम पुत्र मांगा जाति भील निवासी पंऊ
46 सुजाराम पुत्र मसराजी जाति भील निवासी पंऊ
47 बाबुलाल पुत्र सांवलाराम जाति मेघवाल निवासी कांखी
48 घेवाराम पुत्र पूनमाराम जाति भांम्बी निवासी पंऊ
49 टीकमाराम पुत्र पूनमाराम जाति भाम्बी निवासी पंऊ
50 नोजीदेवी पत्नि पूनमाराम जाति भाम्बी निवासी पंऊ
51 पारसराम पुत्र पूनमाराम जाति भाम्बी निवासी पंऊ
52 मंगलाराम पुत्र पूनमाराम जाति भाम्बी निवासी पंऊ
53 डुगराराम पुत्र मोमताराम जाति मेघवाल निवासी कांखी सभी तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज0

जरिये अधिकृत मुख्तीयार खास रावताराम पुत्र निम्बाराम जाति मेघवाल निवासी कॉखी तह0 सिवाना जिला बाडमेर राज0

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1 राजस्थान सरकार जरिये भूमी धारक तहसीलदार सिवाना ।
2 शाखा प्रबन्धक स्टेट बैक बीकानेर एण्ड जयपुर (एस बी आई) मोकलसर
3 शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा, सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम
कायम करवाने बाबत् रास्ता

उपस्थित :– **1. श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

–: आदेश :–

दिनांक :– 08.04.2022

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अधिकृत मुख्तीयार खास रावताराम पुत्र निम्बाराम जाति मेघवाल निवासी कांखी तहसील सिवाना जिला बाडमेर द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व रा.का.अ. की धारा 251 क के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की 539/163, 431/162, 430/162,432/162,429/162,428/162,316/159,377/157,544/186, 152, 150, 549/130 की भूमि सरहद मौजा कांखी पटवारी मण्डल पंऊ तहसील सिवाना में आई हुई है। जिसमें आवागमन हेतु प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' अनुसार रास्ता चाहा गया है। जिसमें प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ते में खसरा संख्या 378/157 सरकारी भूमि किस्म गै.मु.धोरा भी आता है प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेतो में कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते मे से होकर सडक मार्ग तक आवागमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता नक्शा परिशिष्ट'अ'में दर्शाये गये रास्ता प्रार्थीगण के खेते के मध्य स्थित सरकारी भूमि खसरा संख्या 378/157 को छोडते हुये रास्ता घोषित करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:19 IST
Reason: Self Attested

विप्रार्थीगण के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार सिवाना द्वारा आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण कर फर्द मौका 11.01.2022 जरिये पत्रांक राजस्व/2022/88 दिनांक 28.01.2022 को प्रेषित जो शामिल पत्रावली की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थीगण वकील द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही प्रार्थीगण के खातेदारी खेतो में आवगमन हेतु सभी प्रार्थीगण की सहमति से हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण का खातेदारी खेत सरहद मौजा कांखी पटवार मण्डल पंऊ में स्थित प्रार्थीगण के खेत खसरा 539/163, 431/162,430/162, 432/162, 429/162, 428/162, 316/159,377/157,544/186,152,150,549/130 की भूमि में आवगमन हेतु प्राथीगण के खातेदारी खेत के मध्य में स्थित खसरा संख्या 378/1257 किस्म गै.मु. धोरा को छोडते हुये तहसीलदार सिवाना के पत्रांक राजस्व/2022/88 दिनांक 28.01.2022 के सलग्न फर्द मौका 11.01.2022 के संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार रास्ता घोषित किया जावे।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर संलग्न तहसलीदार सिवाना का मौका फर्द का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रार्थीगण के अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रा.का.अ. की धारा 251 क स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत सरहद मौजा कांखी पटवार मण्डल पंऊ तहसील सिवाना में स्थित खेत खसरा संख्या 539/163 ,431/162, 430/162 ,432/162, 429/162, 428/162,316/159,377/157,544/186,152,150,549/130 में आवगमन हेतु सरकारी भूमि खसरा संख्या 378/157 को छोडते हुये 13 फीट (2गटठा) चौडा रास्ता तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न नक्शा किश्तवार अनुसार बरंग लाल रास्ता घोषित किये जाने के आदेश दिया जाता है।

हस्तगत प्रकरण समस्त खातेदारो द्वारा आपसी सहमति से पेश किया गया है इसलिए रास्ते के एवज में आवप्त होने वाली भूमि के बदले प्रतिफल राशि देय नहीं होगी।

प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज 2 गट्ठा चौडे रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका फर्द दिनांक 11.01.2022 के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये परिशिष्ट 'अ' बरंग लाल ए से बी.,सी से डी व सी से ई तक दर्शाये अनुसार रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:19 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 08.10.22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

...री नक्शा परिशिष्ट "अ"

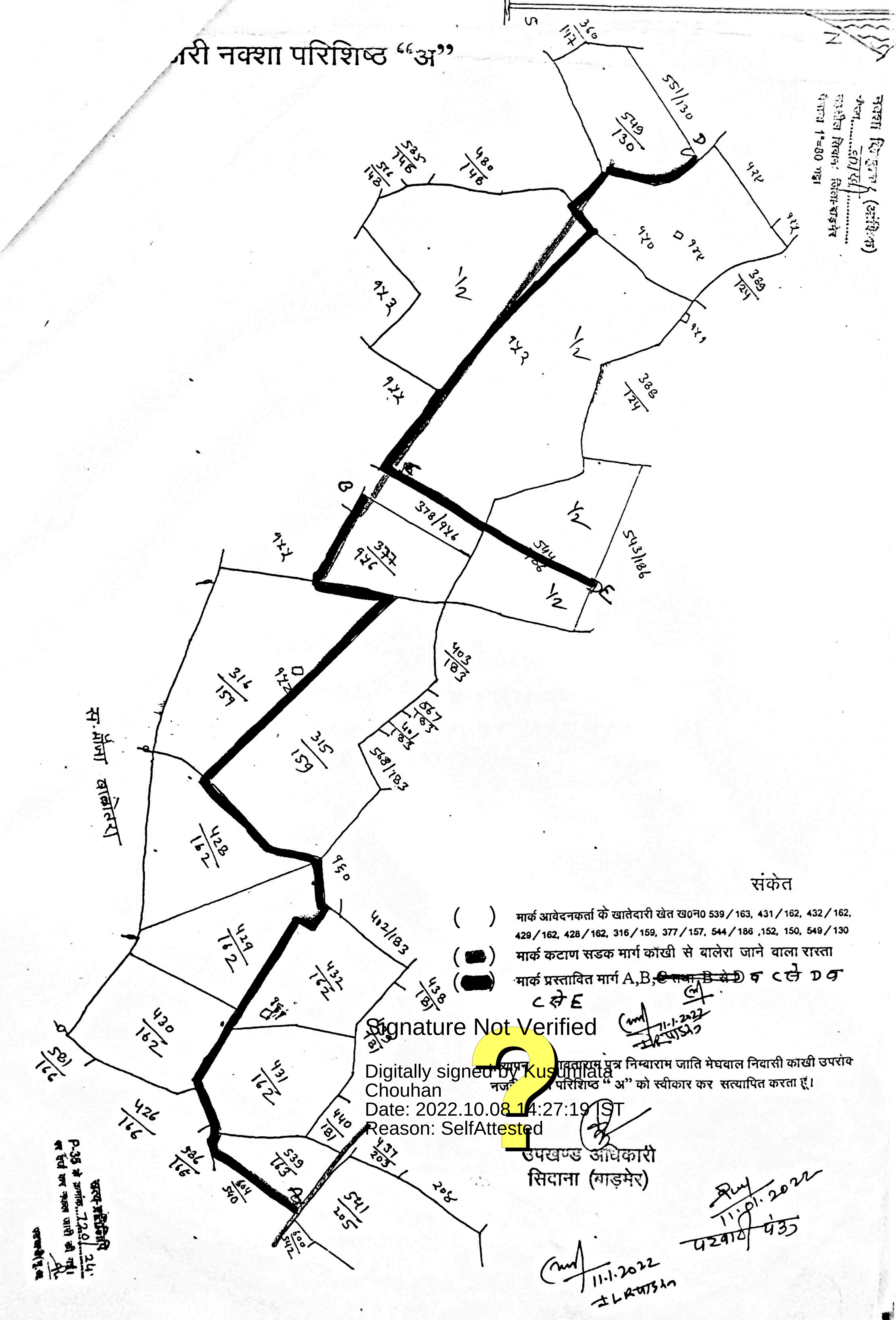

संकेत

( ) मार्क आवेदनकर्ता के खातेदारी खेत ख0न0 539 / 163, 431 / 162, 432 / 162, 429 / 162, 428 / 162, 316 / 159, 377 / 157, 544 / 186 ,152, 150, 549 / 130

( ) मार्क कटाण सडक मार्ग कांखी से बालेरा जाने वाला रास्ता

( ) मार्क प्रस्तावित मार्ग A,B,~~C तथा B से D~~ व C से D व C से E

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:19 IST
Reason: SelfAttested

...तताराम पुत्र निम्बाराम जाति मेघवाल निवासी कांखी उपरोक्त नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" को स्वीकार कर सत्यापित करता हूं।

उपखण्ड अधिकारी
सिदाना (बाड़मेर)